भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1345
30.07.2026 को उत्तर के लिए

उद्योगों द्वारा अनुपालन

1345. श्री मोहम्मद नदीमुल हक़ :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत उद्योगों द्वारा अनुपालन की स्थिति क्या है;
(ख) पीएम10 और पीएण2.5 स्तरों में सुधार दर्शाने वाले गैर-प्राप्ति (नॉन-अटेनमेंट) शहरों की संख्या कितनी है; और
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी निधि जारी और उपयोग की गई?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाना, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां तथा हरितीकरण गतिविधियों को मुख्य तौर पर लक्ष्य करके राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 130 शहरों के लिए शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई है।

एनसीएपी के तहत तैयार की गई राज्य कार्य योजनाएं उद्योगों द्वारा अनुमोदित ईंधनों के उपयोग के लिए नीतियां तैयार करके स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर, स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शहर गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करके, उद्योगों/वाणिज्यिक इकाइयों इत्यादि, द्वारा पारंपरिक ईंधनों से स्वच्छ ईंधनों गैसीय ईंधन (सीएनजी/पीएनजी/सीबीजी) में परिवर्तित करके औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करती है।

औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा कार्रवाई की जाती है, जबकि औद्योगिक उत्सर्जन और निर्वहन मानदंडों की निगरानी और प्रवर्तन सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सहमति तंत्र के माध्यम से किया जाता है, और उक्त अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, एनसीएपी शहरों में स्थित 11,108 उद्योगों ने प्राकृतिक गैस, पीएनजी/एलएनजी, एलपीजी, बायोगैस आदि जैसे स्वच्छ ईंधन में परिवर्तन किया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 की अवधि में 130 शहरों को वायु गुणवत्ता प्रदर्शन-आधारित अनुदान के रूप में ₹16,423.55 करोड़ प्रदान किए गए हैं, इनमें दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 48 शहरों को पंद्रहवें वित्त आयोग के मिलियन-प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड (एमपीसीसीएफ) के माध्यम से अनुदान प्राप्त हुआ तथा मानकों को न पूरा करने वाले 82 शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना 'प्रदूषण नियंत्रण'(सीपी) के अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराया गया है। अब तक शहरों द्वारा प्राण पोर्टल पर ₹11,575.54 करोड़ (70.5%) राशि के उपयोग की सूचना दी गई है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर अथवा नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला/शहर स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति द्वारा शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समय-समय पर निगरानी की जाती है।

इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति और अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में वायु गुणवत्ता निगरानी समिति समय-समय पर एनसीएपी के तहत शहर कार्य योजनाओं और राज्य कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है।

एनसीएपी के तहत केंद्रित कार्यों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान, 2017-18 की तुलना में 108 शहरों में वार्षिक पीएम$_{10}$ सांद्रता में कमी दर्ज की गई, जिसमें 72 शहरों ने 20% से अधिक की कमी और 26 शहरों ने 40% से अधिक की कमी हासिल की। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में छः शहरों की तुलना में वर्ष 2025-26 में 14 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा किया।

इसके अलावा, मौजूदा वर्ष 2025 के दौरान, 73 शहरों ने वर्ष 2024 की तुलना में वार्षिक पीएम$_{2.5}$ सांद्रता में कमी दर्ज की, जिसमें 17 शहरों ने 20% से अधिक की कमी हासिल की।

****